



# राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांक:-आर०एम०पी०य०० / सम्ब० / 657 / 2023

दिनांक:- 11-02-2023

(निरीक्षण मण्डल)

सेवा में,

- 1 प्रो० एस०के० दिक्षित, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 9450867787
2. प्रो० संदीप कुमार, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 8318546245
- 3 प्रो० सुनीता गुप्ता, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय टप्पल, अलीगढ़।

**विषय-** मेघ सिंह द्रोपा महाविद्यालय, कौड़ियांगंज, अलीगढ़ को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए० हिन्दी, अंगेजी, भूगोल, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान पाठ्यक्रम में स्ववित्तोषित योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के प्रकरण में अवस्थापना सुविधाओं आदि के लिये स्थलीय जाँच कर आख्या एवं संस्तुति उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करना है मेघ सिंह द्रोपा महाविद्यालय, कौड़ियांगंज, अलीगढ़ को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए० हिन्दी, अंगेजी, भूगोल, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान पाठ्यक्रम हेतु स्ववित्तोषित योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु मा० कुलपति जी ने आप को महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ निरीक्षक मण्डल के सदस्य नामित करने की कृपा की है।

अतः आप से अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप में महाविद्यालय का निरीक्षण मण्डल के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर अपनी मानकानुसार अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता की विधिवत जाँच कर अपनी निरीक्षण आख्या तथा सम्बद्धता के प्रकरण में स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति दो प्रतियों में स्वयं उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निरीक्षण आख्या या उसकी कोई प्रति किसी भी स्थिति में महाविद्यालय को नहीं दी जायें। विश्वविद्यालय में सीलबन्द लिफाफे में निरीक्षण आख्या निरीक्षण मण्डल द्वारा या निरीक्षण मण्डल के सदस्य सचिव द्वारा स्वयं प्राप्त करायी जायेगी। यह भी सूच्य है कि निरीक्षण मण्डल द्वारा एक साथ एक ही तिथि में महाविद्यालय का निरीक्षण सूर्यास्त से पूर्व किया जायेगा तथा संयुक्त फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफी कराया जाय जिससे निरीक्षण आख्या एवं फोटोग्राफ पर स्पष्ट एवं पठनीय हस्ताक्षर तिथि सहित किये जाये।

निरीक्षण के दौरान निरीक्षण मण्डल महाविद्यालय के भवनों (प्रत्येक कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, अन्य कक्षों यथा प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, मीटिंग कक्ष एवं चाहरदीवारी गेट सहित आदि) के साथ अपनी संयुक्त फोटो भी खिचवायेंगे जिसे निरीक्षण मण्डल के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

निम्न बिन्दुओं पर निरीक्षण मण्डल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या देना अनिवार्य है।

- 1 महाविद्यालय को संचालित करने वाली समिति के पंजीकरण व दिनांक एवं वैधता की तिथि।
- 2 मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में विधित: अंकित होने से सम्बन्धित खतौनी मूलरूप में या छायाप्रति जो तहसीलदार/उप जिलाधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति।
- 3 महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों की संयुक्तता प्रमाण—पत्र मूलरूप में या छायाप्रति जो सक्षम राजस्व अधिकारी (SDM/तहसीलदार) से प्रमाणित एवं नजरी नक्शा मूलरूप में या छायाप्रति जो सक्षम राजस्व अधिकारी (SDM/तहसीलदार) से प्रमाणित हो उसे संलग्न किया जाये। जिनमें महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित सम्पूर्ण भूमि का स्पष्ट विवरण विभिन्न गाटाओं के नम्बर एवं उनका क्षेत्रफल के साथ स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है।
- 4 महाविद्यालय को प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनापत्ति प्रदान किये जाने की आदेश की संख्या एवं तिथि अंकित किये जाये तथा महाविद्यालय को दी गयी अनापत्ति जिसमें गाटों का उल्लेख किया गया है, क्या उसी गाटों पर महाविद्यालय भवन निर्मित है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय से रु० 50.00 के

403

W

राजा महेन्द्र प्रताप शिंग

Email:- [registrar.rmpu@gmail.com](mailto:registrar.rmpu@gmail.com)

# राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।

Email:- registrar.mpu@gmail.com

- 18 महाविद्यालय में कम्प्यूटर कक्ष, कम्प्यूटर उपकरण, यूफी01एस० आदि के साथ इन्टरनेट कनेक्शन उपलब्ध होने की स्थिति।
- 19 प्रबन्ध समिति तथा शिक्षक अनुमोदित है कि नहीं इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय। यदि नहीं तो किया जा सके। यदि महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के सचन्च में कोई विवाद हो तो उसका सुस्पष्ट उल्लेख नहीं तो जेनरेटर से विद्युत व्यवस्था होने की दशा में जेनरेटर की लोगाबुक संलग्न करें यदि निरीक्षण आख्या में किया जाय।
- 20 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होने की स्थिति में पावर कारपोरेशन, ३०५० का विजली का बिल संलग्न करें यदि निरीक्षण आख्या में किया जाय।
- 21 छात्राओं के व्यवस्था के सचन्च में छात्रावास के कक्षों का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।
- 22 यदि महाविद्यालय दारा पूरा कर ली गयी है तो उसका भी अंकन निरीक्षण आख्या में अंकित किया जाए।
- 23 जिन महाविद्यालयों में नवीन विषयों/पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता हेतु शासनादेश सरकार शिक्षक अनुमोदित एवं तैनात होना अनिवार्य है तथा इसके सम्बन्ध में समिति स्पष्ट आख्या दे।
- 24 महाविद्यालय की वेबसाइट का ऐडेस, टेलीफोन नम्बर, ई-मेल एड्रेस, फेस्स नम्बर एवं कारेज कोड इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण आख्या में किया जाए।
- 25 महाविद्यालय में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख यदि वाटर घूरीफायर है तो उसका उल्लेख निरीक्षण आख्या में करें।
- 26 निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का कोटोग्राफ, याहरदीवारी निर्मित होने का प्रमाण पत्र, व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति।
- 27 सामुहिक नक्ल का आरोप न होने की स्थिति।
- 28 नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के अनुसार महाविद्यालय का भवन निर्मित होने सम्बन्धी प्रामाणपत्र अधिकारी अधिकारी, लोकनिर्माण विभाग आख्या अधिकारी अधिकारी, आमियन्टा, ग्रामिण अधिव्यवस्था सेवा द्वारा निर्गत हो एवं व फोटो सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से शासनादेश के अनुरुप अंगठतेकिंग निरीक्षण आख्या के अनुसार सामान्यता, मानकानुसूत व्यवस्था होने के सम्बन्ध में अधिकारिक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
- 29 निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से शासनादेश के अनुरुप अंगठतेकिंग निरीक्षण आख्या कोई भूवना असत्य/गलत पारी गयी तो उसके लिए जो संस्कृति की गयी है वह सत्य है तथा यदि निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा सम्बद्धता प्रायान करने हेतु की गयी संस्कृति।
- 30 महाविद्यालय को सम्बन्धित पाठ्यक्रम का निरीक्षण मण्डल करने से पूर्व प्राचार्य/सिल्हक अनुमोदन निरीक्षण आख्या है।
- 31 प्रस्ताव एवं अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्त कर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित करना अनिवार्य है।
- 32 प्रस्ताव एवं अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्त कर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये।
- 33 निरीक्षण आख्या पूर्ण एवं सुस्पष्ट हो। शासनादेश में जिन बिंदुओं की पुष्टि की अपेक्षा है उसके अनुरूप निरीक्षण आख्या हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सांचय का होगा।
- 34 समीक्षा का कोई सदस्य असहयोग करता है तो उसके लिंगद्वंद्व विश्वविद्यालय नियामनुसार अवश्यक कार्यवाही करेगा।
- 35 सदस्य-सांचय का यह दायित्व होगा कि निरीक्षण मण्डल की आख्या को उपरोक्त निरीक्षण उपरोक्त पाठ्यक्रम/विषयों में सम्बद्धता (छात्री) के आवेदन की स्थिति में अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षकों उपलब्ध कराया जायगा।
- 36 समय-सांचय को अन्तर्भृत अपलोड करना सुनिश्चित करेगा।
- 37 सम्बन्धित महाविद्यालय की निरीक्षण आख्या शासनादेश 7/0/2014-16(165)/2012-100से पुनिविचार करें। निरीक्षण के अन्तर्व विश्वविद्यालय को उत्तम अधिकारित समयावधि की अवधि में निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण न किये, जाने की स्थिति में तस्वीर्ण

# राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- register.rmpu@gmail.com

आख्या / सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का काट करे। निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल के सदस्य / सदस्यों के महाविद्यालय पृष्ठाकार निरीक्षण करने महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण में सहयोग करने/ सहयोग न करने बाद में निरीक्षण का अनुरोध करने अन्य तथ्य / तथ्यों का साप्त विश्वविद्यालय आख्या में अकिंत किया जायेगा। निरीक्षण सम्बन्ध न हो पाने की स्थिति में भी निरीक्षण विद्युतों पर आख्या निरीक्षण मण्डल / सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण के लिये और अधिक समय मांगने के सम्बन्ध में लिखित साप्त निरीक्षण मण्डल द्वारा प्रस्तुत विद्या जायेगा तथा उपर काट पर निरीक्षण मण्डल द्वारा साहमति की दशा में आगामी तिथि निश्चित की जायेगी। निरीक्षण मण्डल / सदस्य द्वारा उपर निरीक्षण का पालन न करने की दशा में सासानोदय संख्या 9688 / सत्तर-6-20016-100(18) / 2016 दिनांक 12 मई, 2016 के नियमानुसार निरीक्षण मण्डल / सदस्य पर नियमानुसार अवधिक कार्रवाही की जायेगी। शासनदाता दिनांक 14 नवम्बर, 2014 में निहित वावस्थानुसार सत्र का निर्धारण किया जायेगा।

निरीक्षण मण्डल के सदस्यों को विश्वविद्यालय नियमानुसार मानदण्ड इवं यात्रा भूता सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा ही प्रदत्त किया जायेगा। निरीक्षण मण्डल इस आशय का भी एक प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा कि निरीक्षण मण्डल के किसी सदस्य/ सदस्यों द्वारा महाविद्यालय से निरीक्षण हेतु विधिक रूप से अमात्य/नियमों के विपरीत कोई धनराशि नहीं ती गयी है। निरीक्षक मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या (निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रपत्र/अभिलेख संलग्न कर) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/ राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से कुलसंचित कार्यालय में उपलब्ध कराने का काट करें।

नोट: उल्लिखित बिन्दु संख्या 11, 13 एवं 33 के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल द्वारा गम्भीरता से निरीक्षण कर पृथक-पृथक प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से रख्य अकिंत की जाए।

भवदीय

(महेश कुमार)

कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1 प्रबन्धक / सचिव प्रबन्ध समिति, हे भग सिंह दोष महाविद्यालय, कोडियांजल, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया निरीक्षक मण्डल के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करे, निरीक्षक मण्डल को निरीक्षण में सहयोग प्रदान करने का काट करे अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तर दायित्व महाविद्यालय का होगा। निरीक्षण होने सम्बन्धी सूचना अथवा अन्य सदबन्धित सूचना तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2 प्रबन्धक / सचिव सम्बन्धित पाठ्यक्रम का निरीक्षण पैनल करने से पूर्व विश्वविद्यालय से प्राचार्य एवं शिक्षकों के अनुमोदन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ले।

3 प्रबन्धक / प्राचार्य यहि आपका महाविद्यालय All India Survey on Higher Education (AISHE) में पंजीकृत नहीं है तो तत्काल पंजीकृत कराकर सुचित करे अत्यथा, नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

4 सम्बन्धित पत्रावली।

(अन्त)  
सहायक कुलसचिव